रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY, INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1980/श्रावण 11, 1902

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1980/SRAVANA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Terriories)

गृह मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 784—17 मई, 1980 के भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) के पृष्ठ 1079-81 पर प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 544 तारीख 2 मई, 1980 में निम्न-लिखित शब्दों और अंकों के स्थान पर उनके सामने दर्शित शब्द व अंक पढ़ें :—

पृष्ठ 1079, नियम 2, उपनियम (2), पंक्ति 5 में "प्रयोजन" के स्थान पर "प्रयोजनों" पढ़ें

पृष्ठ 1079, नियम 3, उपनियम (2), पंक्ति 2 में (i) "कोष्टकों और अंक का लोप करें"

पृष्ठ 1080, नियम 3, उपनियम (2) (iii) पंक्ति 1 में "मद (i)" के स्थान पर "मद (iv)" और पंक्ति 3 में "(i)" के स्थान पर "(iv)" पढ़े

पृष्ठ 1080, नियम 3, उपनियम (2) (iii) (ख), पंक्ति 1 में "सिविल" के स्थान पर "सिविल" और "कक्ष" के स्थान पर "कक्षा" पढ़े

पृष्ठ 1080, नियम 3, उपनियम 2(iii), पंक्ति 23 में "(2)" के स्थान पर "(ii)" पढ़े

पृष्ठ 1080, नियम 3 उपनियम (3), (ii), पंक्ति 2 मे "भी" शब्द का लोप करें

पृष्ठ 1080, नियम 3, उपनियम (4), पंक्ति 1 में "प्रधान सुरक्षा भाग" चालक" के स्थान पर प्रधान सुरक्षा गारद (चालक)" पढ़ें

पृष्ठ 1080, नियम 3 उपनियम (5)(ii), पंक्ति में "प्रविष्टिया" के स्थान पर "प्रविष्टियाँ" पढ़ें ।

[सं०ई०-32012/1/78-वि०अ०नि० (पर्स-1)]

जोगिन्दर सिंह, अवर सचिव

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 785.—दिनांक 15 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र भाग II-खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की दिनांक 25-10-1975

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 810 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (चपरासी) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (चपरासी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है :

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (चपरासी) भर्ती नियम, 1980 के नियम 3 के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व :

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा :

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमादेष्टा, होमगार्ड, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, ऐसी अवधि को घटाकर दो वर्ष कर सकेगा ।"

[सं० ए-12018/4/80-स्था०/अ०स०(आई)]
जे० एस० तुली, अवर सचिव

New Delhi, the 16th July, 1980

G.S.R. 810.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Peon) Recruitment Rules, 1980, namely :—

(1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Peon) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Peon) Recruitment Rules, 1980, under rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

"Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards :

Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a Peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years :

Provided that the Commandant General, Home Guards, may, having regard to the performance of and standard of training achieved by any person during the period of training, reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing."

[No. A. 12018/4/80-Est/US(I)]
J. S. TULI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 811 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी समूह "क" भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, (क) कालम संख्या 7 और 8 के बीच निम्नलिखित कालम 7(क) अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"7(क)

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ ग्राह्य है ।"

(ख) सहायक केन्द्र निदेशक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 2 के सम्मुख वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

अनुसूची

सहायक केन्द्र निदेशक के पद के संशोधित भर्ती नियम

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के० सि० से० (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ।	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
2.	सहायक केन्द्र निदेशक टिप्पणी : इसमें निम्नलिखित पद शामिल है (1) सहायक केन्द्र निदेशक	84	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	900-40-1100-द०रो०-50-1400 रुपए	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है) । टिप्पणी : आयु	नहीं ।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य । (2) कम से कम एक भारतीय भाषा के साहित्य का अच्छा ज्ञान ।

7	7क	8
(2) सहायक कार्यक्रम निदेशक (3) सहायक केन्द्र निदेशक (निरीक्षण) (4) प्रशिक्षक (कार्यक्रम) (5) उप सहायक कार्यक्रम नियंत्रक (6) खेल कार्यक्रम आयोजक	सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्ष द्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	(उम्मीदवार ने डिग्री स्तर पर इसे एक विषय के रूप में लिया होना चाहिए या उसे भाषा में प्रकाशित, सृजनात्मक या आलोचनात्मक कृति का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए)। (3) भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश में सांस्कृतिक तथा कलात्मक अभिव्यक्तियों के विभिन्न रूपों का गहन ज्ञान (प्रमाण देना है)। (4) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि। (5) किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक संस्थान में उत्तरदायी हैसियत में लगभग पांच वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हक उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकेंगी)। टिप्पणी 1 :—अन्यथा सुअर्हक उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकेंगी। टिप्पणी 2 :—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकेगी/सकेंगी यदि चयन की अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। वांछनीय : (1) नाटक, क्रिकेट, आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने का अनुभव।

7	7क	8
		(2) हिन्दी का ज्ञान, या यदि हिन्दी मातृ-भाषा हो तो किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान । (3) अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान ।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।	भर्ती की विधि—भर्ती सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है ।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।
9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत	पदोन्नति . वे प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव (सामान्य ग्रेड और सलैक्शन ग्रेड दोनों) जिनकी दोनों ग्रेडों में से किसी एक में भी या दोनों ग्रेडों में कम से कम 5 वर्ष की स्वीकृत सेवा हो । टिप्पणी : यदि प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के ग्रेड में नियुक्त किसी व्यक्ति के बारे में आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है तो उस ग्रेड के उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जायगा चाहे उन्होंने उस ग्रेड में निर्धारित सेवा अवधि पूरी न भी की हो, बशर्ते कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्यक्रम) आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य 4 उप सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक (कार्यक्रम), आकाशवाणी महानिदेशालय —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी महानिदेशालय —सदस्य 3. उप सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य टिप्पणी : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के स्थायीकरण से संबंधित विभा-	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाना होगा । इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में शोधन/छूट देने के लिए भी उससे परामर्श आवश्यक है ।

14
विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के लिए भेजी जानी होंगी तथापि, यदि उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की पुनः बैठक करानी होगी ।

[फाइल संख्या 12018(1)/76--बी (ए)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 1980

G.S.R. 811.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules (Amendment) Rules 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963(a) between column number 7 and 8, the following column 7(a) shall be inserted.

"7(a)

"Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972"

(b) against Serial No. 2 relating to the post of Assistant Station Director, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Revised recruitment rules for the post of Assistant Station Director.

S. No.	Name of post :	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the C.C.S. (Pension) Rules—1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
2.	Assistant Station Director Note : This includes posts designated as : (i) Assistant Station Director (ii) Assistant Director of Programmes (iii) Assistant Station Director (Inspection) (iv) Instructor (Programmes)	84	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs.900-40-1100-EB-50-1400.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nico-	No	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Sound knowledge of the literature of at least one Indian language. (a candidate should have offered it as a subject for a degree or should furnish evidence of

1	2	3	4	5	6	7	8
	(v) Dy. Assistant Controller of Programmes. (vi) Sports Programme Organiser.					bar Islands and Lakshadweep).	published, creative or critical work in the language). (iii) Intimate knowledge of India's cultural heritage and of different forms of cultural and artistic expressions in the country (evidence to be furnished). (iv) Lively interest in national and international affairs. (v) About five years' experience in a responsible capacity in a Government or semi-Government organisation, or educational institution or commercial concern of repute (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). Note I : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note II : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable (i) Experience of organising cultural activities like drama, debate etc. (ii) Knowledge of Hindi or if Hindi is the mother language, of any other Indian language. (iii) Knowledge of a foreign language other than English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
No	2 years	By promotion—75% By direct rectt.—25%	Promotion Programme Executive (both Ordinary Grade & Selection Grade) with at least 5 years' approved service in either of the grades or both. Note : If any person appointed to the grade of Programme Executive is considered for promotion to the post of ASD, AIR all persons senior to him in the grade will also be so considered notwithstanding that they may not have rendered the prescribed length of service in that grade, provided they should have successfully completed their period of probation.	Gropp 'A' DPC (For considering promotion) 1. Chairman/Member UPSC—Chairman. 2. Deputy Director General (P) Directorate General AIR —Member. 3. Deputy Director General (Admn)., Dte. Genl. AIR, —Member. 4. Deputy Secy., (Broadcasting) Min. of I & B—Member. (For considering confirmation) 1. Dy. Director (Genl. (P) Dte. Genl. AIR, —Chairman. 2. Dy. Director Genl. (Admn.), Dte. Genl. AIR,—Member. 3. *Dy. Secy., (Broadcasting), Min. of I & B —Member. Note :—The proceedings of the DPC relating to confirmation of direct recruits shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC. Consultation is also necessary while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[F. No. 12018(1)/76-B(A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 812.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने डाक-तार विभाग के सर्किल डाक लेखा कार्यालयों के वरिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, स्टेनोग्राफर, निम्न श्रेणी लिपिक और छंटाईकार (ग्रुप "ग" पदों) पर भर्ती के तरीकों को नियमित करते हुए, निम्न नियम बनाए जाते हैं अर्थात्:—

(i) संक्षिप्त नाम और प्रचलन:—(i) ये नियम सर्किल डाक लेखा कार्यालय (स्टेनोग्राफर, वरिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार निम्न श्रेणी लिपिक और छंटाईकार) भर्ती नियम 1979 कहलाएंगे ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।